



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 04.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 288/24 धारा 379 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी गए सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 26.03.2024 को वादी अंकित छाबड़ा पुत्र जगदीश छाबड़ा निवासी रशीदपुर गढ़ी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से टंकी का फिटिंग का सामान, मिस्त्री की मशीन व औजार चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 288/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 1. हरेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम राजदेव नंगली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 2. रजत शर्मा पुत्र सुनील कुमार निवासी मौ0 दक्ष नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. हरेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम राजदेव नंगली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 2. रजत शर्मा पुत्र सुनील कुमार निवासी मौ0 दक्ष नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी गये टंकी के फीटिंग के पार्ट्स व अन्य सामान व एक पुलिन्डे में फिटिंग के सामान, औजार (हथैडा, छेनी, रिंच आदि) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. हरेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम राजदेव नंगली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. रजत शर्मा पुत्र सुनील कुमार निवासी मौ0 दक्ष नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

टंकी के फीटिंग के पाईप व अन्य सामान व एक पुलिन्दे मे फिटिंग के सामान, औजार(हथैडा, छेनी, रिंच आदि)

आपराधिक इतिहास हरेन्द्र उपरोक्त –

- 1.मु0अ0स0 288/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0स0 121/2022 धारा 379/411/483 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0स0 124/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0स0 1006/2023 धारा 420 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 590 प्रशान्त थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मुख्य आरक्षी 402 धर्मवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 04.04.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 153/24 धारा 380/411 भादवि में वांछित तीन अभियुक्तों को चोरी गये सामान व अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.04.2024 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जगतपाल सिंह नि0 ग्राम करनपुर माफी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 02.04.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा ग्राम पीपलासाना में स्थित वादी के भाई के गोदाम से लगभग दो से तीन क्विण्टल बिजली के तार व दो पुराने लोहे के खम्बे के टुकड़े तथा कुछ पुराने लोहे के क्लीप लगभग 02 क्विण्टल चोरी कर लिए गए। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 153/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.फैसल पुत्र शब्बीर नि0 मो0 पुराना कुआ कस्बा बास्ता थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.प्रिंस कुमार पुत्र जगदीश नि0 ग्राम करनपुर माफी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 3.मौ0 ताज पुत्र मौ0 तौफीक नि0 ग्राम मखैना थाना अनुपशहर जनपद बुलंदशहर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/24 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.फैसल पुत्र शब्बीर नि0 मो0 पुराना कुआ कस्बा बास्ता थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.प्रिंस कुमार पुत्र जगदीश नि0 ग्राम करनपुर माफी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 3.मौ0 ताज पुत्र मौ0 तौफीक नि0 ग्राम मखैना थाना अनुपशहर जनपद बुलंदशहर को छोटे हाथी से चोरी गये बिजली का तार तीन बण्डल वजन लगभग 02 से 03 क्विण्टल तथा बिजली के लोहे के पोल के 12 टुकड़े वजन लगभग 03 क्विण्टल तथा पोल पर लगनेवाले लोहे के 24 कलैम्प वजन लगभग 02 क्विण्टल सहित गिरफ्तार किया गया।



अभियुक्त फैसल उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व अभियुक्त मौ० ताज उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त मौ० ताज के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किये गये। माल व अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में अभियोग में धारा 411 भादवि व धारा 3/25 तथा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। घटना में प्रयुक्त टाटा पिकअप (छोटा हाथी) डीएल 01एल एएच 2365 को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.फैसल पुत्र शब्बीर नि० मो० पुराना कुआ कस्बा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.प्रिंस कुमार पुत्र जगदीश नि० ग्राम करनपुर माफी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
- 3.मौ० ताज पुत्र मौ० तौफीक नि० ग्राम मखैना थाना अनुपशहर जनपद बुलंदशहर

बरामदगी का विवरण-

- 1-बिजली का तार एल्युमिनियम के तीन बण्डल वजन लगभग 02 से 03 क्विंटल तथा बिजली के लोहे के पोल के 12 टुकड़े वजन लगभग 03 क्विंटल तथा पोल पर लगने वाले लोहे के 24 कलैम्प वजन लगभग 02 क्विंटल।
- 2-एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस 315 बोर।
- 3-एक अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर।
- 4-एक अदद चाकू नाजायज।

आपराधिक इतिहास-

अपराधिक इतिहास अभियुक्त फैसल उपरोक्त-

- 1.मु०अ०सं० 153/24 धारा 380,411 भादवि 3/25 तथा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर
- 2.मु०अ०सं० 398/22 धारा 379/411 भादवि थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर
- 3.मु०अ०सं० 570/14 धारा 382 ,411 भादवि थाना चांदपुर
- 4.मु०अ०सं० 698/14 धारा 323,380,382 भादवि थाना चांदपुर
- 5.मु०अ०सं० 809/14 धारा 398,401 भादवि थाना चांदपुर
- 6.मु०अ०सं० 810/14 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मौहम्मद ताज उपरोक्त-

- 1.मु०अ०सं० 153/24 धारा 380,411 भादवि० 3/25 तथा 4/25 आर्म्स एक्ट
- 2.मु०अ०सं० 183/17 धारा 136 वि० अधि० थाना अहमदगढ बु०शहर
- 3.मु०अ०सं० 321/18 धारा 2/3 गैगस्टर अधि० थाना को० देहात बु०शहर
- 4.मु०अ०सं० 1803/17 धारा 147,148,149,307,34 भादवि० थाना को० देहात जनपद बुलन्दशहर
- 5.मु०अ०सं० 1809/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद बुलन्दशहर
- 6.मु०अ०सं० 1781/17 धारा 395,412 भादवि० थाना को० देहात जनपद बुलन्दशहर
- 7.मु०अ०सं० 17/23 धारा 427 भादवि० व 136/137 वि० अधि० थाना पहासु बु०शहर
- 8.मु०अ०सं० 346/22 धारा 427/411 भादवि० 136/137 वि० अधि० थाना पहासु बु०शहर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री मुकेश सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2-उ०नि० श्री मुसरत हुसैन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3-का० 754 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 4-का० 2035 असलम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 5-का० 88 रजनीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 6-का० 2585 बिर्जेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 04.04.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/24 धारा 376एबी/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी.एसटी एक्ट व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.04.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शोबित पुत्र रामकुंवर सैनी द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया व जातिसूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 152/24 धारा 376एबी/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी.एसटी एक्ट व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा भादवि की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 152/24 धारा 376एबी/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी.एसटी एक्ट व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त शोबित पुत्र रामकुंवर सैनी नि0 ग्राम चेहली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.शोबित पुत्र रामकुंवर सैनी नि0 ग्राम चेहली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2- का0 865 धन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 04.04.2024

**थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 154/2024 धारा 326A/504/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.03.2024 को वादिनी फौजिया पत्नी नासिर निवासी मौ0 अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादिनी के पति नासिर पुत्र नाजिम द्वारा गर्म दूध वादिनी के ऊपर डाल दिया व 2.नाजिम 3. शाजिया पत्नी नाजिम निवासीगण मौहल्ला अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ गाली गलौज की ।



तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 154/2024 धारा 326A/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 154/2024 धारा 326A/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र नाजिम निवासी मौहल्ला अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नासिर पुत्र नाजिम निवासी मौहल्ला अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 शिवकुमार थाना किरतपुर बिजनौर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1728 अजय ठाकुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 04.04.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	हल्दौर	अश्वनी कुमार पुत्र हरिसिंह नि० मौ० रईसान कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2	नजीबाबाद	फुरकान पुत्र मेहरवान नि० ग्राम नारायणपुर रतन थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3	को० शहर	नौशाद पुत्र फरीद अहमद नि० मौ० कस्साबान थाना को० शहर जनपद बिजनौर
4	नगीना देहात	शारदा पत्नी आशा नि०ग्राम ढकिया बावनसराय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
5	हीमपुर दीपा	राकेश पुत्र रतिराम नि० ग्राम धीवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
6	अफजलगढ	जस्सू पुत्र गन्नू नि० ग्राम भवानीपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
7	अफजलगढ	पूरन पुत्र गन्नू नि० ग्राम भवानीपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
8	अफजलगढ	खूब्बी पुत्र गन्नू नि० ग्राम भवानीपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
9	मंडावर	देवेन्द्र पुत्र शेर सिंह नि० ग्राम मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर



थाना हल्दौर



थाना नजीबाबाद



थाना को0 शहर



थाना नगीना देहात



थाना हीमपुर दीपा



थाना अफजलगढ



थाना मंडावर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 04.04.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 308 भादवि से संबंधित अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

दिनांक 28.07.2016 को वादी ने अभियुक्त जावेद उर्फ अनीस उर्फ दुग्गी पुत्र रहीश फकीर निवासी मौ० रवापुरी साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की बेटी के सिर में चोट मार देने, जिससे वादी के बेटी बेहोश हो जाने के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 706/16 धारा 308 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 04.04.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर -03, बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 706/16 धारा 308 भादवि के अभियुक्त जावेद उर्फ अनीस उर्फ दुग्गी पुत्र रहीश फकीर निवासी मौ० रवापुरी साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 07 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- जावेद उर्फ अनीस उर्फ दुग्गी पुत्र रहीश फकीर निवासी मौ० रवापुरी साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।